रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 1988/माघ 15, 1909
No. 62] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 1988/MAGHA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1988

अधिसूचना

सा.का.नि. 79(अ.):—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन

तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) द्वितीय संशोधन नियमावली, 1988 है।

(2) ये पहली अक्तूबर, 1986 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 में, नियम 4 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा; अर्थात् :—

"4क. नगर भत्ता.

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर नगर भत्ता प्राप्त करेंगे जो 7300–100–7600 अथवा उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के श्रेणी 'क' के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

[संख्या ए-12018/5/86-ए.टी.]

(श्रीमती) पी.वी. वल्सला जी कुट्टी, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने 1 अक्तूबर, 1986 से केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' के संबंध में नगर भत्ते में संशोधन किए जाने संबंधी चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करने का निर्णय किया है। तदनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियमावली 1985 में 1 अक्तूबर, 1986 से संशोधन किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है।

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम सा.का.नि. 644 (ई), दिनांक 10 अगस्त, 1985 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें संख्या सा. का. नि. 585(ई), दिनांक 18 जून, 1987 तथा 9(ई) दिनांक 6-1-88 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 4th February, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 79(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Second Amendment Rules, 1988.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 1986.

2. In the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"4A. City Compensatory Allowance :

The Chairman, Vice-Chairmen and a Member shall receive City Compensatory Allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 or above."

[No. A-12018|5|86-AT]

(Smt.) P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to implement the decisions taken on the recommendations of the Fourth Central Pay Commission relating to revision of City Compensatory Allowance in respect of the Central Civil Services Group 'A' with effect from 1st October, 1986. The Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from 1st October, 1986.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Central Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

IndiaCode

Foot note :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 644(dated the 10th August, 1985 in the Gazette of India and subse quently amended vide

(i) No. G.S.R. 585(E) dated 18-6-1987 and

(ii) No. G.S.R. 9(E) dated 6-1-1988.

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988